अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1320/2026

सुनील कुमार एवं तीन अन्य बनाम् बिहार सरकार

18.06.2026 आवेदक सुनील कुमार, 2. राज कुमार महतो, 3. भिखारी महतो एवं 4. लालो महतो, जिन्हें मथुरापुर थाना कांड सं0–35/2026, अन्तर्गत धारा 191(2),115(2),109,117(2),76, 303(2),352,3(5) भा0 न्या0 सं0, में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी अभियोगी राजन कुमार द्वारा दाखिल अभियोग–पत्र जिसे प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना भेजा गया था जिसके आधार पर आवेदकगण एवं अन्य अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित की गई है। अभियोग–पत्र के अनुसार दिनांक 26.01.2026 की रात्रि में रूपेश कुमार ने उसकी लड़की सरिता कुमारी का अपहरण कर लिया जिस घटना को लेकर मथुरापुर थाना कांड सं0–05/2026, अन्तर्गत धारा 96, 137(2) भा0 न्या0 सं0 दर्ज किया गया जो अनुसंधान में लम्बित है। दिनांक 27.01.2026 को 11.00 बजे दिन में उपरोक्त अपहरण की घटना को लेकर एक सामाजिक पंचायती ग्रामीण अरूण महतो के दरवाजा पर रखा गया था जिसमें पंचों ने रूपेश कुमार को दोषी करार दिया तथा लड़की को वापस पहुंचाने एवं माफी मांगने का आदेश दिया। इसी बात को लेकर अभियुक्तगण उसे गाली देने लगे तथा पंचों से बाता–बाती करने लगे। वह गाली देने से मना किया तो अभियुक्त भिखारी महतो के आदेश पर अभियुक्तगण लाठी, डंडा, रॉड से उसे मारपीट करने लगे। अभियुक्त राजा कुमार जान मारने की नियत से लोहा का कुल्हाड़ी सर पर चलाया जिससे उसका सर कट फट गया और लहुलूहान हो गया। दूसरा बार कुल्हाड़ी चलाया तो उसका चाचा सुधीर कुमार ने राजा कुमार का हाथ पकड़ लिया। इसी बीच भिखारी महतो उसके चाचा सुधीर कुमार के माथा पर लोहा का रॉड चलाया जो छिप जाने के कारण दाहिना कंघा पर लगा जिससे कंधा की हड्डी टूट गई। हल्ला सुनकर उसका पड़ोसी आशा देवी एवं संजय कुमार दौड़कर बचाने आए तो उनदोनों को भी अभियुक्तों ने मिलकर मारपीट किया तथा आशा देवी का साड़ी–बलाउज फाड़ दिया एवं मंगलसुत्र सुनील कुमार छीन लिया।

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती किरण सिंह अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया सारा आरोप असत्य, मनगढंत, आधारहीन एवं बनावटी है जिसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। आवेदकगण को ग्रामीण राजनीति के कारण इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। दिनांक 26.01.2026 को सरिता कुमारी का अपहरण रूपेश कुमार द्वारा किया गया जिसके लिए अपहुता के पिता राम बहादुर महतो द्वारा मथुरापुर थाना कांड सं0–05/2026 दर्ज कराया गया है। आवेदक राज कुमार महतो द्वारा मथुरापुर थाना कांड सं0–09/2026 सूचक राजन कुमार एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध दर्ज कराया गया है जिसपर दबाव बनाने के लिए

Web Copy

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1320 / 2026

लगातार

18.06.2026 सूचक द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध वाद दाखिल किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विधिक साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण के पलायन एवं उनलोगों के द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वे बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदकगण को उनकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार घटना के क्रम में अभियुक्त सं0 3 भिखारी महतो सूचक के चाचा सुधीर कुमार के माथा पर लोहा का रॉड चलाया जो छिप जाने के कारण दाहिना कंधा पर लगा जिससे कंधा की हड्डी टूट गई। उपरोक्त तथ्यों का समर्थन केस दैनिकी की कंडिका 14 में वादी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका 6, 7, 15 में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में किया है। केस दैनिकी के साथ उपलब्ध जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन के अनुसार जख्मी सुधीर कुमार के कंधा पर गंभीर जख्म कारित हुआ है। आवेदक सं0 3 भिखारी महतो के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति गंभीर है एवं वाद अभी अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, इस आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए इस आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः **आवेदक सं0 3. भिखारी महतो की अग्रिम जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत** किया जाता है तथा उसके गिरफ्तारी पर लगाया गया रोक वापस लिया जाता है।

जहां तक आवेदक सं0 1. सुनील कुमार, 2. राज कुमार महतो एवं 4. लालो महतो के अग्रिम जमानत की प्रार्थना का प्रश्न है तो प्राथमिकी के अनुसार इन आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है एवं जमानत आवेदन पत्र की कंडिका 3 के अनुसार इन आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उभय पक्षों के बीच वाद एवं पलटा मथुरापुर थाना कांड सं0–09 / 2026 वाद चल रहा है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं इन आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति पर विचारोपरांत इन आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक सं0 1. सुनील कुमार, 2. राज कुमार महतो एवं 4. लालो महतो द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर मो0 10,000 रू0 साथ समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंध–पत्र भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482(2) के शर्तो के साथ दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy